



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 64] इलाहाबाद, शनिवार, 31 जुलाई, 2010 ई० (श्रावण 9, 1932 शक संवत्) [संख्या 31

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु० 3075	भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		रु० 975
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	355-366	1500	भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1431-1466		भाग 6-(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1-ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
भाग 1-ख (2)-श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			भाग 6-क-भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 2-आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण		975	भाग 7-(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड पत्र			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड			भाग 7-क-उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		975
ख-नगर पंचायत, खण्ड			भाग 7-ख-इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां		
ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत		975	भाग 8-सरकारी कागज पत्र, दबाई हुई रुई की गाठों का विवरण पत्र, जन्म, मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	243-246	975
			स्टोर्स-पर्वज विभाग का क्रोड पत्र	239-246	1425

औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

अधिसूचना

30 जुलाई, 2010 ई०

सं० 1422/77-4-10-44 एन०/85-उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 19 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और उत्तर प्रदेश साधारण खेती अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) के साथ पठित उक्त अधिनियम, 1976 की धारा 19 उप धारा (1) के अधीन शक्ति का और इस निमित्त अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एतद्वारा नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना) विनियमावली, 1991, जो गजट में अधिसूचना संख्या 12/भा०उ०/18-11-91, दिनांक 12 अप्रैल, 1991 द्वारा अधिसूचित की गयी थी, और जिसमें अधिसूचना संख्या 49/77-4-10-44 एन०/85, दिनांक 18 फरवरी, 2010 द्वारा प्रथम संशोधन किया गया है, को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :

नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना)

(द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2010

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह विनियमावली नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2010 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार अधिनियम की धारा 2 (घ) के अधीन यथा परिभाषित औद्योगिक विकास क्षेत्र पर होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-विनियम 2, 3, 4, 5 एवं 6 का संशोधन—नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना को तैयार करना एवं अन्तिम रूप देना) विनियमावली, 1991 जिसे आगे उक्त विनियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 2, 3, 4, 5 एवं 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

परिभाषा—

परिभाषा—

2-(1) जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :

2-(1) जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 से है ;

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 से है ;

(ख) "कृषि उपयोग" का तात्पर्य किसी भूमि या उसके भाग का खेती, बागवानी, सुअर-पालन, मत्स्य-पालन, कुक्कुट-पालन, कोशकीट पालन के लिए उपयोग और उससे आनुषांगिक समस्त वैध उपयोगों से है ;

(ख) "कृषि उपयोग" का तात्पर्य वही होगा जैसा कि अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुरूप अनुमोदित योजना में परिभाषित हो ;

(ग) "प्राधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित नवीन ओखला औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकारी से है ;

(ग) "प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित नवीन ओखला औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण से है ;

(घ) "वाणिज्यिक उपयोग" का तात्पर्य किसी व्यापार, व्यवसाय या वृत्ति करने, किसी भी प्रकार के माल वह चाहे जो भी हो के विक्रय करने के लिए किसी भूमि या भवन या उसके भाग के उपयोग से है और इसके अन्तर्गत निजी अस्पताल, परिचर्या गृह, छात्रावास, होटल, जलपान गृह, बोर्डिंग हाउस, जो किसी शैक्षिक संस्था से सम्बद्ध न हो, किसी भी क्षेत्र में परामर्शी कार्यालय, कुटीर और सेवा उद्योग भी सम्मिलित है ;

(घ) "वाणिज्यिक उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुरूप अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

- (ड) "औद्योगिक उपयोग" का तात्पर्य मुख्य रूप से उद्योगों के अवस्थान के लिए किसी भूमि या भवन या उसके भाग के उपयोग से है और औद्योगिक उपयोग से अनुषांगिक अन्य उपयोगों, जैसे कार्यालय, खाद्य वस्तु अधिष्ठान आदि उपयोगों से है ;
- (च) "संस्थागत उपयोग" का तात्पर्य समाज के सुधार के लिए परीक्षण, शोध, प्रदर्शन आदि जैसे क्रियाकलापों को करने के लिए किसी भूमि/भवन या उसके भाग के उपयोग से है और इसमें शिक्षण संस्थायें भी सम्मिलित हैं ;
- (छ) "भू-उपयोग" का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र में औद्योगिक, आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, सार्वजनिक, जलनिकाय, मनोरंजन के आयोजन के लिए खुले स्थानों, सड़कों, परिवहन, सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक भवनों, कृषि और इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन के लिए किसी भूमि या उसके भाग के उपयोग से है ;
- (ज) "मनोरंजन के आयोजन के लिये खुले स्थान" का तात्पर्य संरचनायुक्त या रहित किसी ऐसी भूमि से है, जो खुली छोड़ी गयी हो या जिसका अभिन्यास और विकास ऐसे बाल उद्यानों, सेक्टर या पड़ोस के पार्कों, मनोरंजन पार्कों, वनस्थली, खेल के मैदानों, सार्वजनिक सभा, वानस्पतिक उद्यानों और चिड़ियाघरों के रूप में किया गया हो, जिनका उपयोग सार्वजनिक उपयोग सार्वजनिक मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो ;
- (झ) "योजना" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गयी योजना से है और इसमें सेक्टर योजना भी सम्मिलित है ;
- (ञ) "सार्वजनिक उपयोग" का तात्पर्य सार्वजनिक लाभ के लिए किसी भूमि या भवन या उसके भाग के उपयोग से है चाहे उसमें प्रवेश और उसका उपयोग किसी प्रकार द्वारा विनियमित हो या न हो और ऐसे भवनों से सम्बद्ध भूमि के उपयोग से और किसी सार्वजनिक उपयोग से आनुषांगिक ऐसे उपयोग से है ;

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

- (ड) "औद्योगिक उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;
- (च) "संस्थागत उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;
- (छ) "भू-उपयोग" का तात्पर्य औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी द्वारा अवधारित योजना में औद्योगिक, आवासीय, संस्थागत, वाणिज्यिक, जलनिकाय, मनोरंजन के आयोजन के लिए खुले स्थानों, सड़कों, परिवहन, सार्वजनिक और अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं, कृषि और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी भूमि, भवन या उसके भाग के उपयोग से है ;
- (छछ) "विन्यास योजना" का तात्पर्य सम्पूर्ण स्थल की ऐसी योजना से है, जिसमें भू-खण्डों/भवन समूह, सड़कों, खुले क्षेत्र, पार्किंग, भू-दृश्य आदि को दर्शाया गया है तथा भू-भागों के उपयोग/क्रियाओं का उल्लेख किया गया है ;
- (ज) "मनोरंजन उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;
- (झ) "योजना" का तात्पर्य प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अधिनियम के अर्थात्तर्गत औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गयी महायोजना से है ;
- (ञ) "सार्वजनिक अथवा अर्द्धसार्वजनिक उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(त) "आवासीय" का तात्पर्य किसी भूमि या भवन या उसके भाग का मानव आवास के लिये और आवासीय उपयोगों से आनुषांगिक ऐसे उपयोगों से है ;

(थ) "सेक्टर" का तात्पर्य ऐसे डिवीजनों में से किसी एक डिवीजन से है, जिसमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग को अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है ;

(द) "यातायात और परिवहन उपयोग" का तात्पर्य मनुष्यों, मॉल सेवाओं के परिवहन के प्रयोजनों के लिए और परिवहन उपयोग से आनुषांगिक ऐसे अन्य उपयोगों से है ;

(ध) "जल निकायों" का तात्पर्य भू-तल पर जल के संवहन और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी भूमि से है।

3-नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण प्रपत्र और योजना की विषय वस्तु :

(1) प्राधिकारी यथासम्भवशीघ्र नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण करेगा और औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये योजना का प्रारूप तैयार करेगा।

(2) योजना के प्रारूप में :-

(क) विभिन्न सेक्टरों को परिभाषित किया जायेगा, जिनमें प्रस्तावित नगरीय सीमाओं के भीतर पड़ने वाले क्षेत्र को विभाजित किया जाना हो ;

(ख) भूमि उपयोग के लिए भूमि के क्षेत्र का आवंटन होगा ;

(ग) निम्नलिखित का उल्लेख होगा, उनकी परिभाषा होगी और उनके लिए व्यवस्था होगी-

(एक) वर्तमान और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य प्राथमिक और माध्यमिक सड़कें।

(दो) परिवहन और संचार की, जिसमें रेल और हवाई-अड्डा भी सम्मिलित है, वर्तमान और प्रस्तावित अन्य रूप रेखायें।

(3) योजना के प्रारूप में निम्नलिखित का उल्लेख, परिभाषा और व्यवस्था हो सकती है :

(क) वर्तमान और प्रस्तावित सार्वजनिक भवन, और

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(त) "आवासीय उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;

(थ) "सेक्टर" का तात्पर्य ऐसे डिवीजनों में से किसी एक डिवीजन से है, जिसमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग को अधिनियम के अधीन योजना और विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है ;

(द) "यातायात और परिवहन उपयोग" का तात्पर्य अधिनियम एवं इस विनियमावली के अनुसार अनुमोदित योजना में यथा परिभाषित उपयोग से है ;

(ध) "जल निकायों" का तात्पर्य भू-तल पर जल के संवहन और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किसी भूमि से है।

3-नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण प्रपत्र और योजना की विषय वस्तु :

(1) प्राधिकारण यथासम्भवशीघ्र नगर योजना और नागरिक सर्वेक्षण करेगा और औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये योजना का प्रारूप तैयार करेगा,

(2) योजना के प्रारूप में-

(क) वर्तमान में विद्यमान विभिन्न सेक्टरों का उल्लेख एवं वर्णन किया जायेगा, जिनमें विकास क्षेत्र अथवा इसके भाग को विकास के उद्देश्य से विभाजित किया जाना हो तथा प्रत्येक सेक्टर में भूमि का उपयोग किये जाने की रीति का उल्लेख किया जायेगा ;

(ख) विभिन्न भू-उपयोग के अधीन भूमि के क्षेत्रफल का उल्लेख किया जायेगा ;

(ग) निम्नलिखित का उल्लेख एवं वर्णन होगा-

(एक) विद्यमान सड़कें।

(दो) परिवहन और संचार की, जिसमें रेल और हवाई-अड्डा भी सम्मिलित है, विद्यमान और प्रस्तावित अन्य रूप रेखायें।

(3) योजना के प्रारूप में निम्नलिखित उल्लेख, हो सकता है :

(क) विद्यमान और सार्वजनिक सुविधायें, नदियों, जल निकायों आदि भौतिक संरचनायें ;

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(ख) विनियम 4 में विनिर्दिष्ट सभी विषय या उनमें से कोई विषय।

(4) योजना के प्रारूप में ऐसे मानचित्र, डाइग्राम, चार्ट रिपोर्ट और किसी व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति के ऐसे अन्य लिखित विषय होंगे जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग के विकास से सम्बन्धित हों,

(5) योजना के प्रारूप के लिखित विषय या मुख्य प्रस्तावों का ऐसा सारांश और ऐसा वर्णनात्मक विषय भी सम्मिलित होगा, जिसे प्राधिकारी मानचित्रों, चार्टों, डाइग्रामों उदाहरण द्वारा और अन्य दस्तावेजों द्वारा और उल्लिखित प्रस्तावों के समझाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझे।

(6) भू-उपयोग की कोई योजना उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भूमि के सर्वाधिक वांछित उपयोग का प्रस्ताव करने वाली योजना प्रारूप का भाग बनेगी।

4-योजना में-

(क) विभिन्न सेक्टरों को, जिनमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग को विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है, प्रदर्शित करने वाली सेक्टर योजनाये सम्मिलित हो सकती है।

(ख) योजना में निम्नलिखित के लिए भूमि का अधिकतम वांछित उपयोग इंगित करते हुये विभिन्न वर्तमान और प्रस्तावित भू-उपयोग प्रदर्शित किये जायेंगे-

(एक) विभिन्न मापदण्डों या प्रकारों या दोनों उद्योगों के लिए भूमि के क्षेत्र के आवंटन द्वारा औद्योगिक उपयोग,

(दो) विभिन्न और परिनिश्चित घनत्वों हेतु गृह और विभिन्न श्रेणियों के कुटुम्बों के लिए भू-खण्डीय विकास हेतु भूमि के क्षेत्र में आवंटन द्वारा आवासीय उपयोग

(तीन) थोक या फुटकर बाजारों, विशेष बाजारों, नगर स्तरीय दुकानों, प्रदर्शन कक्षों और वाणिज्यिक कार्यालयों और ऐसे अन्य सहबद्ध वाणिज्यिक क्रिया-कलापों के लिए भूमि के क्षेत्र के आवंटन द्वारा वाणिज्यिक उपयोग ;

(चार) सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, दूरभाष केंद्रों, पुलिस लाइन, सामान्य डाकघर, तार-घर, शिक्षा संस्थाओं, परीक्षण शोध और प्रदर्शक संस्थाओं, आक्सीकरण ताल और मल प्रवाह प्रक्षेत्र सेनेटरी लैण्ड फिल एरिया और अन्य बड़े अधिष्ठानों के लिए भूमि के क्षेत्र का आवंटन द्वारा सार्वजनिक उपयोग ;

(ख) विनियम 4 में विनिर्दिष्ट सभी मामले या उनमें से कोई मामला।

(4) योजना के प्रारूप में ऐसे मानचित्र, डाइग्राम, चार्ट, रिपोर्ट और किसी व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति के ऐसे अन्य लिखित विषय होंगे जो औद्योगिक विकास क्षेत्र के सम्पूर्ण या किसी भाग के विकास से सम्बन्धित हों,

(5) योजना के प्रारूप के लिखित मामले या मुख्य प्रस्तावों का ऐसा सारांश और ऐसा वर्णनात्मक मामला भी सम्मिलित होगा, जिसे प्राधिकरण मानचित्रों, चार्टों, डाइग्रामों द्वारा और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रदर्शित प्रस्तावों को दृष्टान्त द्वारा समझाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझे।

(6) विद्यमान भू-उपयोग की कोई योजना में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि के वांछित उपयोग का प्रस्ताव करने वाली योजना प्रारूप का भाग बनेगी।

4-योजना में-

(क) विभिन्न सेक्टरों, जिनमें औद्योगिक विकास क्षेत्र या उसके भाग को विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जा सकता है, सम्मिलित हो सकते हैं।

(ख) योजना में निम्नलिखित के लिए भूमि का वांछित उपयोग इंगित करते हुये विभिन्न विद्यमान और प्रस्तावित भू-उपयोग प्रदर्शित किये जायेंगे-

(एक) औद्योगिक उपयोग ;

(दो) आवासीय उपयोग ;

(तीन) वाणिज्यिक उपयोग ;

(चार) सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग ;

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

(पांच) सभागीय और नगर पार्क, प्रदर्शनी, मैदान, खेल-कूद गाँव (स्पोर्ट्स विलेज), स्टेडियम, तरण, ताल आदि के लिये भूमि के क्षेत्र के आवंटन के द्वारा मनोरंजन के आयोजन के लिये खुले स्थान ;

(छः) कृषि, बागवानी, कोशकीट पालन, शूकर पालन, मत्स्य पालन और कुक्कुट पालन के लिए भूमि के क्षेत्र के आवंटन द्वारा कृषि उपयोग ;

(सात) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र के उचित विकास के दौरान उपयुक्त समझे।

(ग) यातायात और परिवहन योजना, जिसमें सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रणाली के लिए प्रस्ताव सम्मिलित होंगे ;

(घ) अनुरचनात्मक योजना, जिसमें जल, विद्युत्, जल निकास और मल प्रवाह और कूड़ा-करकट के निस्तारण की व्यवस्था के लिए भूमि/भवन के लिये प्रस्ताव होंगे और मनोरंजन के आयोजन के लिए खुले स्थान, नागरिक और सांस्कृतिक केन्द्र के लिए भूमि/भवन के प्रस्ताव भी इंगित होंगे ;

(ङ) आवास योजना, जिसमें आवासीय अपेक्षा के अनुमानों और नई आवासीय इकाईयों के मानक और प्रकार से सम्बन्धित प्रस्ताव होंगे।

(च) परिस्थितिकीय योजना, जिसमें वांछित नगरीय परिस्थितिकीय प्रणाली को बनाये रखने के लिए प्रभावी विनियमावली और योजना के उपाय प्रस्तावित होंगे।

(छ) सम्पूर्ण नगर क्षेत्र के लिए आधारभूत संकल्पनात्मक भू-दृश्य और सड़क के किनारे वृक्षारोपण, पार्कों हेतु खुले स्थान के प्रबन्ध और सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन के क्षेत्र के विषय में आधारभूत विचार देने वाली भू-दृश्य योजना।

(ज) प्रत्येक भू-उपयोग के क्षेत्र ऊँचाईयों का आवंटन, मजिलों की संख्या, भवनों का आकार और संख्या, याडों और अन्य खुले स्थानों का आकार और भूमि और भवनों का उपयोग का क्रमबद्ध विनियमन।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(पांच) मनोरंजनात्मक उपयोग ;

(छः) कृषि उपयोग ;

(सात) ऐसे अन्य उपयोग के लिए जैसा प्राधिकरण औद्योगिक विकास क्षेत्र के उचित विकास के दौरान उपयुक्त समझे।

(ग) यातायात और परिवहन योजना, जिसमें सड़क, रेल और हवाई परिवहन प्रणाली के लिए प्रस्ताव सम्मिलित होंगे ;

(घ) अनुरचनात्मक योजना, जिसमें जल, विद्युत्, जल निकास और मल प्रवाह और कूड़ा-करकट के निस्तारण की व्यवस्था के लिए भूमि/भवन के लिये प्रस्ताव होंगे और मनोरंजन के लिए खुले स्थान, नागरिक और अन्य अवस्थापना सुविधाओं के प्रस्ताव भी इंगित होंगे ;

(ङ) आवास से सम्बन्धित प्रस्ताव ;

(च) विभिन्न भू-उपयोग में अनुज्ञात की जाने वाली विभिन्न क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में परिक्षेत्र सम्बन्धी विनियमनों को प्रस्तावित करने वाली योजना ;

(छ) सम्पूर्ण नगर क्षेत्र और सड़क के किनारे वृक्षारोपण, पार्कों खुले स्थानों के प्रबन्ध और सक्रिय और निष्क्रिय मनोरंजन के क्षेत्र के लिये संकल्पनात्मक भू-दृश्य प्रदान करने वाली योजना।

(ज) निकाल दिया गया।

स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम

(अ) ऐसे मानचित्र, रेखा-चित्र, चार्ट, रिपोर्ट और कोई व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति की अन्य लिखित विषय वस्तु जो सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र या उसके किसी भाग के विकास से सम्बन्धित हो।

(ब) लिखित विषय, जिसमें प्रस्तावों का सार और मुख्य प्रस्ताव और ऐसा वर्णनात्मक विषय होगा, जैसा प्राधिकारी मानचित्रों, चार्टों, रेखा-चित्रों और अन्य दस्तावेजों द्वारा इंगित प्रस्तावों को दृष्टान्त द्वारा दिखाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) योजना में किसी अन्य विषय की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसे औद्योगिक विकास क्षेत्र के उचित विकास के लिये आवश्यक समझा जाये।

(3) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिससे योजना सम्बन्धित है, किसी एक मानचित्र पर प्रदर्शित प्रस्तावों की संख्या और किसी अन्य मानचित्र पर प्रदर्शित प्रस्तावों की संख्या के बीच कोई विवाद या असंगति होने की दशा में बड़े पैमाने वाला मानचित्र प्रभावी होगा और किसी मानचित्र और लिखित विषय के बीच किसी ऐसे विवाद या असंगति की दशा में लिखित विषय प्रभावी होगा।

योजना को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया

5-योजना तैयार करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना-

(1) प्राधिकारी, यथासम्भव शीघ्र योजना का प्रारूप तैयार हो जाने पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि-

(क) योजना का प्रारूप तैयार हो गया है और उसका निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय और स्थान पर किया जा सकता है, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ख) योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, ऐसे दिनांक से पहले, जो सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन पूर्व का न हो और ऐसी रीति से जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, भेजी जायेगी।

(2) यह सूचना इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में जारी की जा सकती है।

6-सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन का ढंग-ऊपर विनियम 5 में उल्लिखित प्रत्येक सार्वजनिक सूचना मुख्य

स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

(अ) ऐसे मानचित्र, रेखा-चित्र, चार्ट, रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक प्रकृति का लिखित मामला जो सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र या उसके किसी आंशिक भाग के विकास से सम्बन्धित हो।

(ब) लिखित मामला, जिसमें मुख्य प्रस्तावों का सार और मुख्य प्रस्ताव और ऐसा वर्णनात्मक मामला होगा, जैसा कि प्राधिकारण मानचित्रों, चार्टों, रेखा-चित्रों और अन्य दस्तावेजों द्वारा इंगित प्रस्तावों को दृष्टान्त के साथ समझाने या स्पष्ट करने के लिए आवश्यक समझे।

(2) योजना में किसी अन्य मामले की भी व्यवस्था हो सकती है, जिसे औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित विकास के लिये आवश्यक समझा जाये।

(3) किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में, जिससे योजना सम्बन्धित है, किसी एक मानचित्र पर दर्शाये गये प्रस्तावों की संख्या और किसी अन्य मानचित्र पर दर्शाये प्रस्तावों की संख्या के बीच कोई विवाद या असंगति होने की स्थिति में वृहत्तर पैमाने वाला मानचित्र प्रचलित होगा और किसी मानचित्र और लिखित मामले के बीच किसी ऐसे विवाद या असंगति की स्थिति में लिखित मामला प्रचलित होगा।

5-योजना तैयार करने के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना-

(1) प्राधिकारण, यथासम्भव शीघ्र योजना का प्रारूप तैयार हो जाने पर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि-

(क) योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और उसका निरीक्षण किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे समय और स्थान पर किया जा सकता है, जैसा सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ख) योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को ऐसे दिनांक से पहले, जो सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन पूर्व का न हो और ऐसी रीति से जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, भेजी जायेगी।

(2) यह सूचना इस विनियमावली से संलग्न प्रपत्र "क" में जारी की जा सकती है।

6-सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन का ढंग-इसमें विनियम 5 में उल्लिखित प्रत्येक सार्वजनिक सूचना मुख्य

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी और उसका व्यापक प्रकाशन उससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र में सहज दृश्य सार्वजनिक स्थानों पर उसकी प्रतियां चिपका कर, या डोल पीटकर उसका प्रचार करके या ऐसे किसी समाचार-पत्र में, जिसका उस क्षेत्र में परिचालन हो, विज्ञापन-द्वारा किया जायेगा। यह प्रकाशन इन साधनों में से अधिक साधनों के द्वारा जिन्हे प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी उचित समझे, किया जायेगा।

3-विनियम 8, 9, 10 और 11 का संशोधन-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम 8, 9, 10 और 11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

8-समिति की संस्तुतियों पर विचार-

(क) समिति की संस्तुतियां मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह विचार हो कि किसी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है तो उसके द्वारा संस्तुति समिति को उस पर विचार करने के लिए वापस निर्दिष्ट की जा सकती है।

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की संस्तुतियों के साथ अपनी रिपोर्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

9-प्राधिकारी द्वारा योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देना/अनुमोदन करना-

(क) प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की रिपोर्ट और किसी अन्य विषय पर विचार करने के पश्चात् योजना के प्रारूप में परिवर्तन, सुधार और संशोधन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

(ख) प्राधिकारी ऐसे परिवर्तनों, सुधारों और संशोधनों के साथ, जो प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाये, योजना को अनुमोदित करेगा।

(ग) खण्ड "ख" के अधीन अनुमोदित योजना प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये प्रभावी होगी, किन्तु ऐसी अवधि 5 त से कम नहीं होगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से लिखित रूप में होगी और उसका प्रकाशन ऐसे समाचार-पत्र में, जिसका उस नगर क्षेत्र में परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा। यह प्रकाशन दो या उससे अधिक समाचार-पत्रों में, जिन्हे प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उचित समझे, किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

8-समिति की संस्तुतियों पर विचार-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को समिति की संस्तुतियां उन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत की जायेगी।

(ख) यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह राय हो कि किसी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है तो उसके द्वारा संस्तुति को समिति को उस पर विचार करने के लिए वापस सदर्भित की जा सकती है।

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी समिति की संस्तुतियों के साथ अपनी रिपोर्ट प्राधिकारी को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगा।

9-योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देना/अनुमोदन करना-

(क) प्राधिकरण समय-समय पर, समिति की संस्तुति और किसी अन्य विषय पर विचार करने के पश्चात् योजना के प्रारूप में परिवर्तन, उपान्तरण या संशोधन करने के लिए निर्देश दे सकता है।

(ख) प्राधिकरण ऐसे परिवर्तनों, उपान्तरणों या संशोधनों के साथ, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाये, योजना को अनुमोदित करेगा। परन्तु यदि प्राधिकरण, उचित समझे, तो वह योजना के अन्तिम अनुमोदन से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श कर सकता है।

(ग) अनुमोदित योजना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अथवा नयी/पुनरीक्षित योजना के अनुमोदन एवं प्रारम्भ होने तक प्रभावी होगी।

स्तम्भ-1

विद्यमान विनियम

10-योजना का दिनांक और प्रारम्भ-प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन हो जाने के पश्चात् तुरन्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से विनियम 5 में उपबन्धित रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जायेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि योजना अनुमोदित हो गयी है और उस स्थान का नाम होगा जहां पर योजना की प्रति का सभी युक्ति-युक्त समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और उपर्युक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से योजना प्रभावी हो जायेगी।

11-योजना का संशोधन-(1) प्राधिकारी योजना में ऐसे संशोधन कर सकता है, जिससे योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो और जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या के घनत्व के मानकों से सम्बन्धित न हो।

(2) उप विनियम (1) के अधीन योजना में कोई संशोधन करने से पूर्व प्राधिकारी कम से कम एक समाचार-पत्र में, जिसका विकास क्षेत्र में परिचालन हो, एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में किसी प्रभावित व्यक्ति से ऐसे दिनांक के पूर्व जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किया जायेगा और उन सभी आपत्तियों पर विचार करेगा जो प्राप्त हो।

(3) इस विनियम के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन विनियम 5 में विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से प्रकाशित किया जायेगा और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन के दिनांक को या ऐसे अन्य दिनांक को जिसे प्राधिकारी निर्धारित करें, प्रभावी होगा।

(4) प्राधिकारी उसे विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान जिसमें योजना प्रभावी रहेगी, योजना में ऐसे संशोधन नहीं करेगा जो योजना के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दें और जो भूमि के उपयोग की सीमा या जनसंख्या के घनत्व के मानकों से सम्बन्धित हो।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

10-योजना का दिनांक और प्रारम्भ-राज्य सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् तुरन्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से विनियम 6 में उपबन्धित रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जायेगी, जिसमें यह उल्लेख होगा कि योजना अनुमोदित हो गयी है और उस स्थान का नाम होगा जहां पर योजना की प्रति का सभी युक्ति-युक्त समय पर निरीक्षण किया जा सकता है और उपर्युक्त सूचना के प्रथम प्रकाशन के दिनांक से योजना प्रभावी हो जायेगी।

11-योजना का संशोधन-(1) प्राधिकारण अनुमोदित योजना में ऐसे संशोधन कर सकता है, जैसा कि वह उपयुक्त समझे, सिवाय इसके कि जब यह भूमि उपयोग तथा इसकी सीमा से सम्बन्धित हो। परन्तु अनुमोदित योजना में ऐसा संशोधन, जोकि प्राधिकरण की राय में भूमि के उपयोग तथा इसकी सीमा से सम्बन्धित हो, प्राधिकरण द्वारा केवल राज्य सरकार की अनापत्ति से की जा सकती है।

(2) योजना में कोई संशोधन करने से पूर्व प्राधिकरण कम से कम दो समाचार-पत्रों में, जिसका विकास क्षेत्र में प्रसार हो एक सूचना प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में किसी प्रभावित व्यक्ति से ऐसे दिनांक के पूर्व, जो सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन पूर्व का न हो, आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किया जायेगा और वह उन सभी आपत्तियों पर विचार करेगा जो प्राप्त हो।

(3) इस विनियम के अधीन किया गया प्रत्येक संशोधन विनियम 6 में विनिर्दिष्ट किसी भी रीति से प्रकाशित किया जायेगा और संशोधन या तो प्रथम प्रकाशन के दिनांक को या ऐसे अन्य दिनांक को जिसे प्राधिकरण नियत करें, प्रभावी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी संशोधन की एक प्रति राज्य सरकार को सूचना हेतु प्रेषित करेगा।

(4) निकाल दिया गया।

12-सेक्टर अभिन्यास योजना-मुख्य कार्यपालक अधिकारी सेक्टर या सेक्टर के किसकी अनधिक भाग अथवा परियोजना के लिए तैयार की गयी अभिन्यास योजना को अनुमोदित करने के लिए सक्षम होगा। सेक्टर

स्तम्भ-1
विद्यमान विनियम

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम

या सेक्टर के किसी आंशिक भाग अथवा परियोजना की अभिन्यास योजना में किसी संशोधन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा समुचित रूप से अनुमोदित किया जायेगा। यदि ऐसे संशोधन में किसी सेक्टर के क्षेत्रफल और/अथवा सार्वजनिक पार्क और/अथवा हरित पट्टी की अवस्थिति में अन्तः सेक्टर परिवर्तन सम्मिलित है तो। इसे विनियम 11 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4-प्रपत्र 'क' का संशोधन-उक्त विनियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये प्रपत्र 'क' के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये प्रपत्र रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1
विद्यमान प्रपत्र 'क'

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि

1-(क) नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र परिक्षेत्रतहसील दादरी, जिला गाजियाबाद के योजना का प्रारूप तैयार हो गया है, और

(ख) निरीक्षण के लिये उसको एक प्रति नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी.....के कार्यालय में.....से.....तक के बीच सभी कार्य दिवसों में एतदपश्चात् पैरा 3 में उल्लिखित दिनांक तक उपलब्ध रहेगा।

2-एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।

3-आपत्तियां और सुझाव सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकारी को लिखित रूप में दिनांक.....19.....के पूर्व.....पर भेजे जा सकते हैं।

आपत्तियां और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

सचिव,
नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित
प्रपत्र 'क'

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि-

1-(क) नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र परिक्षेत्रतहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर के योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, और

(ख) निरीक्षण के लिये उसको एक प्रति नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण.....के कार्यालय में.....से.....तक के बीच सभी कार्य दिवसों में एतदपश्चात् पैरा 3 में उल्लिखित दिनांक तक उपलब्ध रहेगा।

2-एतद्वारा इस योजना के प्रारूप के सम्बन्ध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।

3-आपत्तियां और सुझाव सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लिखित रूप में दिनांक.....20.....के पूर्व.....भेजे जा सकते हैं।

आपत्तियां और सुझाव देने वाले व्यक्ति को अपना नाम और पता भी देना चाहिए।

सचिव,
नवीन ओखला औद्योगिक
विकास प्राधिकरण।

आजा रा,
बी० एन० नगर,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1422/77-4-10-44 N/85, dated July 30, 2010 :

No. 1422/77-4-10-44 N/85

July 30, 2010

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 19 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976), read with clause (d) of sub-section (2) of the said section and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and all other powers enabling it in this behalf and with the previous approval of the State Government, the New Okhla Industrial Development Authority hereby makes the following regulations with a view to amending the New Okhla Industrial Development Area (Preparation and finalization of Plan) Regulation, 1991 which was notified in the Gazette vide notification no. 1261 Bha. U/18-11-91, dated April 12, 1991, as amended by the notification no. 49/77-4-10-44N/85, dated February 18, 2010.

**The New Okhla Industrial Development Area (Preparation and finalization of Plan)
(Second Amendment) Regulations, 2010**

1. Short title, extent and commencement (1) These regulations may be called the New Okhla Industrial Development Area (Preparation and finalization of Plan) (Second Amendment) Regulations, 2010.

(2) They shall extend to the Industrial Development Area as defined under section 2(d) of the Act.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulations 2, 3, 4, 5 and 6—In the New Okhla Industrial Development Area (Preparation and finalization of Plan) Regulations, 1991, hereinafter referred to as the said regulations, for regulations 2, 3, 4, 5 and 6 set out in Column-1 below, the regulations as set out in Column-2 shall be substituted namely :

Column-1
Existing Regulations

2. Definitions--

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires--

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Industrial Development Act, 1976;

(b) 'Agricultural Use' means the use of any land or part thereof for farming, horticulture, piggery, fishery, poultry farming, sericulture and all legitimate uses thereeto;

(c) 'Authority' means the New Okhla Industrial Development Authority constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976;

(d) 'Commercial Use' means the use of any land or building or part thereof for carrying on any trade, business or profession, sale of goods of any type, whatsoever and includes private hospitals, nursing homes, hostels, hotels, restaurants, boarding house not attached to any educational institution, consultant offices in any field, cottage and service industries;

Column-2

Regulations as hereby substituted

2. Definitions--

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires--

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Industrial Development Act, 1976;

(b) 'Agricultural Use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(c) 'Authority' means the New Okhla Industrial Development Authority constituted under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976;

(d) 'Commercial Use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

Column 1

Existing Regulations

(e) 'Industrial Use' means the use of any land or building or part thereof mainly for location of industries and other uses incidental to industrial use such as offices, eatable establishment etc.;

(f) 'Institutional Use' means the use of any land/building or part thereof for carrying on activities like testing, research, demonstration etc. for the betterment of the society and it includes educational institutions;

(g) 'Land Use' means the use of any land or part thereof in the Industrial Development Area for industrial, residential, institutional, commercial, public water bodies, organized recreational open spaces, streets, transportation, public and semi-public buildings, agriculture and other like purposes;

(h) 'Organized recreational open space' means any land with or without structure left open or laid and developed as a public recreational space in the form of tot lot gardens, sector or neighbourhood parks, amusement parks, woodland, playgrounds, public assembly, botanical and zoological gardens being used for public recreational purposes;

(i) 'Plan' means the plan prepared by the Authority for the development of Industrial Development Area under sub-section (2) of Section 6 of the Act, and it includes Sector Plan;

(j) 'Public Use' means the use of any land or building or part thereof for public benefit whether the entry and use is regulated by any charge or not and land appurtenant to such buildings and for such other uses incidental to a public use;

Column 2

Regulations as hereby substituted

(e) 'Industrial use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(f) 'Institutional Use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(g) 'Land use' means the use of any land or building or part thereof in the Industrial Development Area for industrial residential, institutional, commercial, water bodies, organized recreational open spaces, roads, transportation, public and semi-public facilities, agriculture and such other purposes as may be determined by the Authority in the Plan;

(gg) 'Layout Plan' means a plan of the entire site showing location of plots/buildings blocks, roads open spaces, parking, landscaping, etc. indicating the use/activity for land parcels;

(h) 'Recreational use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(i) 'Plan' means the Master Plan prepared by the Authority for the development of Industrial Development Area under sub-section (2) of Section 6 of the Act, within the meaning of the Act;

(j) 'Public or Semi-Public use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

Column 1*Existing Regulations*

(k) 'Residential Use' means the use of any land or building or part thereof for human habitation and such other uses incidental to residential uses;

(l) 'Sector' means anyone of the divisions in which the industrial development area or part thereof may be divided for the purpose of development under the Act;

(m) 'Traffic and Transportation Use' means the use of any land or building or part thereof for the purposes of transportation of human beings, goods services and such other uses incidental to transportation uses;

(n) 'Water bodies' means any land for the carriage and storage of water on ground level.

3. Town Planning and Civic Surveys Form and Contents of Plan.--

(1) The Authority shall as soon as possible carry out town planning and civic survey and prepare Draft Plan for the industrial development area:

(2) The Draft Plan shall--

(a) Define the various sectors into which the area falling within the proposed urbanisable limit is to be divided;

(b) Allocate the area of land for land use;

(c) Indicate, define and provide for--

(i) the existing and proposed National Highways, arterial and primary and secondary roads;

(ii) the existing and proposed other lines of transportations and communication including Railways and Airport.

(3) The Draft Plan may indicate, define and provide for--

(a) the existing and proposed public buildings; and

(b) all or any of the matters specified in Regulation 4.

Column 2*Regulations as hereby substituted*

(k) 'Residential Use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(l) 'Sector' means anyone of the divisions in which the industrial development area or part thereof may be divided for the purpose of planning and development under the Act;

(m) 'Traffic and Transportation Use' means the use as defined in the Plan as may be approved in accordance with the Act and these regulations;

(n) 'Water bodies' means any land for the carriage and storage of water on ground level.

3. Town Planning and Civic Surveys Form and Contents of Plan.--

(1) The Authority shall as soon as possible carry out town planning and civic survey and prepare Draft Plan for the industrial development area:

(2) The Draft Plan shall--

(a) Indicate and describe the existing various sectors into which the development area or part thereof is divided for the purpose of development and indicating the manner in which the land in each sector is being used;

(b) Indicate the area of land under defferent land use;

(c) Indicate and describe--

(i) the existing roads;

(ii) the existing lines of transportations and communication including Railways and Airport.

(3) The Draft Plan may indicate--

(a) the existing public facilities and physical features such as rivers, water bodies etc.

(b) all or any of the matters specified in Regulation 4.

Column 1*Existing Regulations*

(4) The Draft Plan shall consist of such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of Industrial Development Area.

(5) Written matter forming part of Draft plan shall include such summary of the main proposals and such descriptive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain the proposals indicated by maps, charts, diagrams and other documents.

(6) A plan of land use shall also form a part of the Draft Plan proposing most desirable utilization of land for purposes mentioned in clause (b) or sub-regulation (3).

4. (1) The Plan may include :

(a) Sector Plans showing various sectors into which the industrial development area or part thereof may be divided for the purpose of development.

(b) The plan will show the various existing and purposed land uses indicating the most desirable utilization of land for--

(i) Industrial use by allocating the area of land for various scales or type of industries or both ;

(ii) Residential use by allocating the area of land for housing for different and defined densities and plotted development for different categories of households ;

(iii) Commercial use by allocating the area of land for wholesale or retail markets, specialized markets, town level shops, show-rooms and commercial offices and such other allied commercial activities ;

(iv) Public use by allocating the area of land for Government Offices, Hospitals, Telephone Exchanges, Police Lines, General Post Office, Telegraph Office, Educational Institutions, Testing, Research and Demonstration Institutions, Oxidation Pond and Sewage Farm, sanitary land fill area and other major establishments ;

Column 2*Regulations as hereby substituted*

(4) The Draft Plan shall consist of such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of Industrial Development Area.

(5) Written matter forming part of Draft plan shall include such summary of the main development features and such descriptive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain the proposals indicated by maps, charts, diagrams and other documents.

(6) A plan of existing land use shall also form a part of the Draft Plan for proposing the desirable utilization of land for different purposes.

4. (1) The Plan may include :

(a) Various sectors into which the Industrial Development Area or part thereof may be divided for the purpose of development.

(b) The plan shall show the various existing and purposed land use indicating the desirable utilization of land for--

(i) Industrial use ;

(ii) Residential use ;

(iii) Commercial use ;

(iv) Public and semi-public use ;

Column 1

Existing Regulations

- (v) Organized recreational open spaces by allocating the area of land for regional and city park, exhibition ground, sports village, stadium, swimming pool etc. ;
- (vi) Agricultural use by allocating the area of land for farming, horticulture, sericulture, piggery Fishery and poultry, farming ;
- (vii) Such other purposes as the Authority may deem fit in the course of proper development of the Industrial Development Area ;
- (c) Traffic and transportation plan consisting of proposals for road, railway and air transportation system.
- (d) Infrastructural plan showing proposal for land/building for provision of water, electricity, drainage and disposal of sewage and refuse and also indicating proposals for organized recreational open spaces, civic and cultural centers and land/building for education, medical and such other infrastructural facilities :
- (e) Housing plan consisting of estimates of housing requirement and proposals regarding standard type of new housing units.
- (f) Ecological plan, proposing effective regulatory and planning measures to maintain the desired urban ecological system.
- (g) Landscape plan giving the basic conceptual landscape for entire township and basic ideas of road side plantation, treatment of parks, open spaces and area of active and passive recreation.
- (h) Systematic regulation of each land use area, allocation of heights, number of stories, size and number of buildings buildings, size of yards and other open spaces and the use of land and building.
- (i) Such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of the Industrial Area.
- (j) Written matter consisting of summary of and main proposals and such descriptive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain the proposals indicated by the maps, charts, diagrams and other documents;
- (2) The plan may also provide for any other matter which is deemed necessary for the proper development of the Industrial Development Area.

Column 2

Regulations as hereby substituted

- (v) Recreational use ;
- (vi) Agricultural use ;
- (vii) Such other use as the Authority may deem fit in the course of proper development of the industrial development area ;
- (c) Traffic and transportation plan consisting of proposals for road, railway and air transportation system.
- (d) Infrastructural plan showing proposals for land/building for the provision of water, electricity, drainage and disposal of sewage and refuse and also indicating proposals for recreational open space, civic and other infrastructural facilities ;
- (e) Proposals regarding Housing.
- (f) Plan proposing zoning regulations regarding the various activities to be permitted in different land use.
- (g) Plan giving the conceptual landscape for entire township, road side plantation, treatment of parks, open spaces and area of active and passive recreation.
- (h) Omitted
- (i) Such maps, diagrams, charts, reports and other written matter of any explanatory or descriptive nature as pertain to the development of the whole or any part of the Industrial Area.
- (j) Written matter consisting of summary of main proposals and such descriptive matter as the Authority may consider necessary to illustrate or explain the proposals indicated by the maps, charts, diagrams and other documents;
- (2) The plan may also provide for any other matter which is deemed necessary for the proper development of the Industrial Development Area.

Column 1*Existing Regulations*

(3) In case of any conflict or in consistency between the number of proposals shown on one map and those shown on any other map in respect of any land to which the plan relates, the map which is of a larger scale shall prevail and in case of any such conflict or inconsistency between any map and the written matter, the latter shall prevail.

5. Public notice regarding preparation of Plan—

(1) Authority shall as early as may be, after the Draft Plan has been prepared publish a public notice stating that—

(a) The Draft plan has been prepared and may be inspected by any person at such time and place as may be specified in the notice.

(b) Objections and suggestions, if any, in respect of the Draft Plan shall be sent in written by any person to the Chief Executive Officer of the Authority before such date not being earlier than 15 days from the date of publication of the notice and in such manner as may be specified in the notice.

(2) This notice may be issued in Form 'A' appended to these regulations.

6. Mode of publication of the Public Notice—

Every public notice mentioned in Regulation 5 hereinunder shall be in writing under the signature of the Chief Executive Officer and shall be widely published in the locality to be affected thereby affixing copies thereof at conspicuous public places within the said locality or by publishing the same by beat of drums or by advertisement in a news paper having circulation in the locality. This publication shall be by two or more of these means, which the Chief Executive Officer of the Authority may think fit.

3--Amendment of regulations 8, 9, 10 and 11— In the said regulations, for regulations 8, 9, 10 and 11 set out in Column 1 below, the regulations as set out in Column 2 shall be substituted namely :

Column 1*Existing Regulations***8. Consideration of the recommendation of the Committee—**

(a) The recommendation of the Committee shall be submitted to the Chief Executive Officer for the consideration thereof.

(b) If the Chief Executive Officer is of view that some matter has not been considered by the Committee, the recommendation may be referred back by him to the Committee for the consideration of the same.

Column 2*Regulations as hereby substituted*

(3) In case of any conflict or in consistency between the number of proposals shown on one map and those shown on any other map in respect of any land to which the plan relates, the map which is of a larger scale shall prevail and in case of any such conflict or inconsistency between any map and the written matter, the latter shall prevail.

5. Public notice regarding preparation of Plan—

(1) Authority shall as early as may be, practicable after the Draft Plan has been prepared, publish a public notice stating that—

(a) The Draft plan has been prepared and may be inspected by any person at such time and place as may be specified in the notice.

(b) Objections and suggestions, if any, in respect of the Draft Plan shall be sent in written by any person to the Chief Executive Officer or any other Officer authorized by the Chief Executive Officer of the Authority before such date not being earlier than 15 days from the date of publication of the notice and in such manner as may be specified in the notice.

(2) This notice may be issued in Form 'A' appended to these regulations.

6. Mode of publication of the Public Notice—

Every public notice mentioned in Regulation 5 hereinunder shall be in writing under the signature of the Chief Executive Officer or any other Officer authorized by the Chief Executive Officer and shall be published in newspaper having circulation in the town. This publication shall be by two or more news papers, which the Chief Executive Officer or any other Officer authorized by the Chief Executive Officer of the Authority may think fit.

Column 2*Regulations as hereby substituted***8. Consideration of the recommendation of the Committee—**

(a) The recommendation of the Committee shall be submitted to the Chief Executive Officer for the consideration thereof.

(b) If the Chief Executive Officer is of opinion that some matter has not been considered by the Committee, the recommendation may be referred back by him to the Committee for the consideration of the same.

Column 1*Existing Regulations*

(c) The Chief Executive Officer shall submit his report along with the recommendations of the Committee to the Authority.

9. Finalization/Approval of the Draft plan by the Authority—

(a) The Authority may, after considering the report of the Chief Executive Officer and any other matter, issue directions for variations, modifications or amendments of the Draft Plan.

(b) The Authority shall approve the plan with such variations, modifications or amendments as are deemed to be necessary by the Authority.

(c) The plan approved under clause (b) shall be effective for a period specified by the Authority but such period shall not be less than 5 years.

10. Date and commencement of Plan—

Immediately after a plan has been approved by the Authority a public notice shall be published under the signature of the Chief Executive Officer in the manner provided in Regulation 5 stating therein that a plan has been approved and naming a place where a copy of the plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the plan shall come into operation.

11. Amendment of the Plan—

(1) The Authority may make such amendments in the Plan which do not effect important alteration in the character of the plan and which do not relate to the extent of land use or standards of population density.

(2) Before making any amendment in the plan under sub-section (1), the Authority shall publish a notice in at least one newspaper having circulation in the development area inviting objections and suggestions from any affected person with regard to the proposed amendment before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections that may be received.

(3) Every amendment made under this Regulation shall be published in any of the manner specified in Regulation 5 and the amendment shall come into operation either on the date of first publication or on such other date as the Authority may fix.

Column 2*Regulations as hereby substituted*

(c) The Chief Executive Officer shall submit his report along with the recommendations of the Committee to the Authority for consideration and approval.

9. Finalization/Approval of the Draft plan—

(a) The Authority may from time to time, after considering the recommendation of the Committee and any other matter, issue directions for variations, modifications or amendments of the Draft Plan.

(b) The Authority shall approve the plan with such variations, modifications or amendments as are deemed to be necessary by the Authority.

Provided that if the Authority think fit, it may consult the State Government before the final approval of Plan.

(c) The approved plan shall be effective for a period specified by the Authority or till the new/revised plan is approved and commenced.

10. Date and commencement of Plan—

Immediately after a plan has been approved by the State Government, a public notice shall be published under the signature of the Chief Executive Officer or any other officer authorized by the Chief Executive Officer in the manner provided in Regulation 6 stating therein that a plan has been approved and naming a place where a copy of the plan may be inspected at all reasonable hours and from the date of first publication of the aforesaid notice, the plan shall come into operation.

11. Amendment of the Plan—

(1) The Authority may make such amendments in the approved Plan as it thinks fit, except when related to the land use of its extent. Provided that any amendment in the approved plan which, in the opinion of the Authority relates to the land use or its extent, may be made by the Authority only with No objection of the State Government.

(2) Before making any amendment in the plan the Authority shall publish a notice in at least two newspaper having circulation in the development area inviting objections and suggestions from any affected person with regard to the proposed amendment before such date not being earlier than 15 days from the date of publication of the notice and shall consider all objections that may be received.

(3) Every amendment made under this Regulation shall be published in the manner specified in Regulation 6 and the amendment shall come into operation either on the date of first publication or on such other date as the Authority may fix. The Chief Executive Officer shall send a copy of the amendment to the State Government for information.

Column 1*Existing Regulations*

(4) The Authority shall not make during the specified period in which the Plan is to remain effective, such amendments in the Plan which affect important alteration in the character of the Plan and which related to the extent of the land use or standards of population density.

Amendment of Form 'A'— (4) In the said regulations, for Form 'A' set out in column 1 below, the Forms as set out in Column 2 shall be substituted namely :

Column 1*Existing Regulations***FORM 'A'**

Notice is hereby given that :

1. (a) The Draft Plan of the New Okhla Industrial Development Area Zone of the New Okhla Industrial Development Area, Tehsil Dadri, District Ghaziabad has been prepared ; and

(b) A copy thereof will be available for inspection at the office of the New Okhla Industrial Development Authority between the to p. m. on all working days till the date mentioned in para 3 hereafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect of this Draft Plan.

3. Objections and suggestions may be sent in writing to the Secretary/Chief Executive Officer, New Okhla Industrial Development Authority at before the day of 19

Any person making the objections or suggestions should also give his name and address.

Secretary,
New Okhla

Industrial Development Authority.

Column 2*Regulations as hereby substituted*

(4) *Omitted.*

12. Sector Layout Plan—

The Chief Executive Officer shall be competent to approve the layout plan prepared for the sector or a part of the sector or a scheme. Any amendment in the layout plan of a sector or a part of a sector or a scheme shall duly be approved by the Chief Executive Officer. If such amendment involved the change in the area of a sector and/or and inter-sector changes in the location of public parks and/or green belts, it shall be done in accordance of the procedure laid down in sub-section (2) of regulation 11.

Column 2*Regulations as hereby substituted***FORM 'A'**

Notice is hereby given that :

1. (a) The Draft Plan of the New Okhla Industrial Development Area Zone of the New Okhla Industrial Development Area, Tehsil Dadri, District Gautambudh Nagar has been prepared ; and

(b) A copy thereof will be available for inspection at the office of the New Okhla Industrial Development Authority between the to p. m. on all working days till the date mentioned in para 3 hereafter.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect of this Draft Plan.

3. Objections and suggestions may be sent in writing to the Secretary/Chief Executive Officer, New Okhla Industrial Development Authority at before the day of 19

Any person making the objections or suggestions should also give his name and address.

Secretary,
New Okhla

Industrial Development Authority.

By Order
V. N. GARG,
Principal Secretary.